रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
17 NOV 197
GOVT. OF INDIA

सं० 14] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 1972/पौष 17, 1893
No. 14] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 1972/PAUSA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 7th January 1972

S.O. 21(E) 18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Rajnagar Spinning, Weaving and Manufacturing Co. Ltd., Ahmedabad, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises Gujarat State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Rajnagar Shipping, Weaving and Manufacturing Co. Ltd., Ahmedabad, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(1)/Lic. Pol./69.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

का० आ० 21(अ)/18आ/आई०डी०आर०ए०/72.—यतः, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि राजनगर स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग क० लि० अहमदाबाद नामक औद्योगिक उपक्रम का जिसके संबंध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई, प्रबंध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित मे बहुत ही अहितकर है;

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य वस्त्र निगम (जिसे एतदोपरान्त प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएगा) को राजनगर स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग क० लि० अहमदाबाद नामक उपर्युक्त संपूर्ण उपक्रम का प्रबंध अपने अधिकार में लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत करती है, अर्थात :—

(1) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले निदेशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा ;

(3) केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी तो उससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 9(1)/लाई०पोल०/72]

S.O. 22(E)/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textile manufactured in the industrial undertaking known as Bengal Laxmi Cotton Mills Ltd., Calcutta, for which having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Sri N. Majumdar, 9, Motilal Nehru Road, Calcutta-29.

Members

2. Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical) National Textile Corporation, New Delhi.
3. Shri U. Chatterjee, Director of Industries, West Bengal Government, Calcutta.

Member Secretary

4. Shri Niren Ghosh, Incharge, Regional Office of the Textile Commissioner, Raja Court, 4th Floor, R. N. Mukerjee Road, Calcutta.

[No. F. 9(2)/Lic. Pol./72.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 22(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिणाम में भारी गिरावट हुई है जिसके लिए विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1)	श्री एन० मजूमदार 9 मोतीलाल नेहरू रोड कलकत्ता–29.	अध्यक्ष
(2)	श्री एस० जी० मीरचंदानी निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय वस्त्र निगम नई दिल्ली ।	सदस्य
(3)	श्री यू० चटर्जी उद्योग निदेशक पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता ।	सदस्य
(4)	श्री नीरेन घोष प्रभारी वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय राजा कोर्ट चौथी मंजिल आर० एन० मुकर्जी रोड कलकत्ता ।	सदस्य-सचिव

[सं० फा० 9(2)/लाई०पील०/72]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972